



पोस्ट मैट्रिक ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन की नवीन एवं नवीनीकरण : 2025-26

हेतु सूचना:-

शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आदिम जाति विभाग द्वारा पोस्ट मैट्रिक ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन : 2025-26 के लिए समस्त कक्षाओं का नवीन एवं नवीनीकरण आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ किया जा चुका है। प्रात्र छात्र-छात्राएँ दिनांक 31/08/2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर, समस्त दस्तावेजों के साथ आवेदन की हार्ड कॉपी छात्रवृत्ति नोडल/सहायक नोडल अधिकारी से वेरिफाई कराकर महाविद्यालय में **कक्ष क्रमांक-16** में जमा करें।

आवेदन जमा करते समय समस्त दस्तावेजों की ओरिजनल कॉपी साथ लेकर आवे, ताकि दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जा सकें। बिना वेरिफिकेशन के आवेदन जमा नहीं लिया जावेगा।

आवेदन हेतु बायोडाटा फार्म के लिए कक्ष क्रमांक-16 में संपर्क करें।

For, Bhaldhar

छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी
शास0दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर,
महाविद्यालय दन्तेवाड़ा

Prachar
11/8/25
Principal
Govt. Danteshwari P.G.
शास0दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर
College Dantewada (C.G.)
महाविद्यालय दन्तेवाड़ा

आवेदन करने हेतु दिशा निर्देश:-

आवेदक यह निश्चित कर ले कि:-

- (1) समस्त दस्तावेजों (अंकसूची, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति-निवास-आय प्रमाण पत्र आदि) में आवेदक का नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि समान हो।
- (2) आवेदक के बैंक खाते में आधार सीडींग द्वारा भुगतान की सुविधा प्रारंभ किया जा चुका हो।
- (3) आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नं0 एवं एक्टिव इमेल आई डी स्वयं के पास उपलब्ध हो।
- (4) मोबाइल नं0 एवं ईमेल आई डी किसी अन्य विद्यार्थी द्वारा छात्रवृत्ति के पंजीयन हेतु उपयोग न किया गया हो।
- (5) आवेदक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गए समस्त दस्तावेज सही हो, दस्तावेजों से किसी प्रकार की छेड़-छाड़ न किया गया हो एवं फर्जी न हो। दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर संबंधित छात्र-छात्राओं पर पुलिस में एफ0 आई0 आर0 किया जावेगा, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (6) बैंक खाते से नियमित लेन-देन हो रहा हो, खाता बंद न हो गया हो।
- (7) आवेदक अपना मोबाइल नं0 एवं ईमेल आई डी न बदले, बदलने पर छात्रवृत्ति आवेदन करने में समस्या होगी, कई बार आवेदन कर पाना भी सम्भव नहीं हो पाता है।
- (8) ST/SC के छात्र/छात्राओं के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख एवं OBC छात्र/छात्राओं के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक न हो।